

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं
पीठासीन अधिकारी :: बनवारी लाल (नायब तहसीलदार)
मिसल नं. :: 129/2017
सरकार बनाम दलीप, धर्मवीर, पि. ताराचन्द, जाति-जाट
निवासी- घूमनसर कलां

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 08.09.2017


निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान दलीप, धर्मवीर पि. ताराचन्द, जाति-जाट, निवासी-घूमनसर कलां द्वारा रोही मौजा घूमनसर कलां की राजकीय भूमि ख.नं. 166/2 के कुल रकबा 4.65 है 0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.35 है 0 भूमि पर फसल गुवार काशत कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर होकर जवाब नोटिस पेश किया गया कि जिसमें जोहड़ भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं होना बताया है। गैर सायल का जवाब संतोषजनक नहीं माना जा सकता है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 105 रु. कायम किया जाता है। राजकीय भूमि में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की, जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत गिरदावर हल्का को लिखा जावे।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं... 18पर
वर्ष. 2017-18... में रूपये... 105 कायम किए
राजस्व लेखाकार


(बनवारी लाल)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़